न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/16/2022

महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री सामलिया निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील कामां जिला भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी कामां ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 30.03.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री सामलिया निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील कामां जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2022 से उपखण्ड अधिकारी कामां से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/146 दिनांक 15.03.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कामां से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी कामां से पत्र कमांक राजस्व/22/568 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी कामां ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी कामां से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने व अपील में वर्णित बिन्दुओं के सबंध में सूचना बाबत प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त जबाब पत्र कमांक राजस्व/22/568 दिनांक 23.03.2022 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी कामां ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को सूचना पत्र कमांक आरटीआई/2022/376 दिनांक 02.03.2022 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी कामां को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर